

25/98

8978/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



18-1858/30

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : बिजनौर
3. ग्राम : बरोना
4. सम्पत्ति का विवरण : भूमि खसरा संख्या-489
(सम्पत्ति नं०)

क. लाठी हुमर

नि. 25
कृ. 25



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15/08/785651

- 2 -

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 5. | मापन की इकाई | : हेक्टेअर |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.0250 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | : सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से 200 मीटर से अधिक दूर |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि |
| 9. | पेड़ों का मूल्यांकन | : कुछ नहीं |
| 10. | बोरिंग/कुआ/अन्य | : कुछ भी नहीं |
| 11. | प्रतिफल की धनराशि | : रू0 50,000/- |
| 12. | मालियत | : रू0 3,75,000/- |
| 13. | स्टाम्प | : रू0 26,250/- |

310
for me)

काशी लुगण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 W 185652

- 3 -

चौहद्दी

खसरा नं०-489

पूरब : खसरा संख्या-488, 583
 पश्चिम : खसरा संख्या-579
 उत्तर : खसरा संख्या-490
 दक्षिण : खसरा संख्या-579

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती फूलमती पत्नी श्री कैलाश पुत्री स्व० शिवनाथ, निवासिनी -ग्राम-पल्हरी, जिला-बाराबंकी।		कैलाश कुमार पुत्र श्री मेदीलाल निवासी-ग्राम सीतारामपुर, मजरा-गोविन्दपुर भीरा, लालगंज, रायबरेली, उ०प्र०।

श्री २१०
 कुलकर्णी

कैलाश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 5185648

- 4 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीमती फूलमती पत्नी श्री कैलाश पुत्री स्व० शिवनाथ, निवासिनी -ग्राम-पल्हरी, जिला-बाराबंकी जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है,

एवम

कैलाश कुमार पुत्र श्री मेढीलाल निवासी-ग्राम सीतारामपुर, मजरा-गोविन्दपुर भीरा, लालगंज, रायबरेली, उ०प्र०, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

Kailash Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

185649

- 5 -

यह कि विक्रेता खाता खतौनी संख्या-00386 कृषि भूमि
खसरा संख्या-489 रकबा 0.0250 हेक्टेअर,
स्थित-ग्राम-बरोना, परगना-बजनौर, तहसील व जिला
लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज है, जो विक्रेता को
वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक
खतौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता खतौनी क्रम
संख्या-00386 के अनुसार विक्रेता का नाम अमल दरामद हो
चुका है। उक्त आराजी आज तक विक्रेता के कब्जे व दखल
मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार,

1/10/20
2/1/20

1/10/20
2/1/20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 6 -

कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है। अब बजरूत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिंग रु0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कतई किया और कुल विक्रय धनराशि क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल



श्री लक्ष्मी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




- 7 -

मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज से बखूबी करा दिया। अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 649360

- 9 -

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

उक्त आराजी ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आती है, जो नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है, जिसकी कृषि भूमि की

1/2
2

कल्याणभट्ट

बाजारु कीमत 22,50,000/- रूपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, चूंकि विक्रीत भूमि 5 बिस्वा से कम है इसलिए आवासीय दर रू0 1500/- प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रीत रकबा 0.0250 हेक्टेअर यानि 250 वर्गमीटर की मालियत रू0 3,75,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है। अतः नियमानुसार मालियत पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क 26,250/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

1. रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) जरिये चेक संख्या-842219 दिनांकित 21.06.2011 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-हजरतगंज, लखनऊ।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब साँच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

क. ल. ब. म. क.

विक्रय पत्र

50,000.00/ 375,000.00 7,500.00 20 7,520.00 1,000

प्रतिफल मालियत श्रीमती फूलमती पत्नी श्री कैलारा व्यवसाय गृहिणी

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लाभगत

निवासी श्रीमती श्रीम पल्हरी जिला बाराबंकी

आधारिक पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/6/2011 समय 11:23AM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

22/6/2011

निष्पादन लेखपत्र बाद मुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता केसा

श्रीमती फूलमती पत्नी श्री कैलारा पेशा गृहिणी निवासी श्रीम पल्हरी जिला बाराबंकी

श्री कैलारा कुमार पुत्र श्री मेठी लाल पेशा कृषि निवासी ग्राम सीतारामपुर गोविन्दपुर भीरा जिला रायबरेली



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शिव प्रताप सिंह पुत्र श्री बंश बहादुर सिंह पेशा व्यापार

निवासी लालबाग लखनऊ

व श्री मुनीन्द्रनाथ आनन्द पुत्र श्री औरत वीठ आर्या

पेशा व्यापार

निवासी भीम नगर आलमबाग लखनऊ

ने की।

एवंशतः यह शर्तियों के निशान अंगुठे निबन्धानुसार लिखे गये हैं।

S.P. Singh

मुनीन्द्रनाथ आनन्द



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

22/6/2011

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या-10 पर चेक संख्या काले पेन से लिखी गयी है।


दिनांक :- 21.06.2011

विक्रेता


लखनऊ

गवाहानु:-

1. शिवप्रताप सिंह/10
श्री वंशवहा डुसिंह
ब्राह्म कौम्य लखनऊ



2. सुनील कुमार अग्रवाल
ड/0 श्री अग्रवाल जी. अग्रवाल
श्री अग्रवाल, अग्रवाल
लखनऊ



टाईपकर्ता :

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता :



(सै० मुजम्मिल हसन)

एडवोकेट,

विक्रेता

Registration No.: 8978

Year: 2011


Book No.: 1

0101 फूलमती

केलार

याम पल्हरी जिला धाराबंकी

गृहिणी




ग्राम → खराना

खसरा नं० → 489

क्रेता → श्रीमती कुमारी

विक्रेता → श्रीमती सुलभ



क्रेता
श्रीमती कुमारी

विक्रेता
श्रीमती सुलभ



केला

Registration No.: 8978

Year: 2011

Book No.: 1

0201 कैलाश कुमार

भेदी लाल

ग्राम सीतारामपुर गोविन्दपुर बीरा जिला रायबरेली

कृषि



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता- श्रीमती फूलमती पत्नी श्री कैलाश पुत्री स्व० शिवनाथ, निवासिनी
-ग्राम-पल्हरी, जिला-बाराबंकी
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



क्रेता का नाम व पता- कैलाश कुमार पुत्र श्री मेढ़ीलाल निवासी-ग्राम सीतारामपुर,
मजरा-गोविन्दपुर भीरा, लालगंज, रायबरेली, उ०प्र०

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



हस्ताक्षर क्रेता

कैलाश कुमार

आज दिनांक 22/06/2011 को
वही सं 1 जिल्द सं 12901
पृष्ठ सं 141 से 166 पर क्रमांक 8978
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

22/6/2011

